# समाहरणालय, शेखपुरा

(आपूर्ति शाखा)

–: आदेश :–

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1800 दिनांक 11.04.2017 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना सं0– 1853 दिनांक 10.02.2014 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन खाद्यान्नों के उठाव एवं वितरण संबंधी विषयों से संबंधित शिकायतों के शीघ्र एवं प्रभावी निवारण हेतु शेखपुरा, जिले के लिए श्री निरंजन कुमार झा, उप विकास आयुक्त–सह– अपर समाहर्त्ता, शेखपुरा, (दूरभाष सं0– 06341–223304) को जिला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) के रूप में पदाभिहित किया जाता है।

ह0/–
**जिला पदाधिकारी,**
**शेखपुरा।**

**ज्ञापांक** :–...367.../ **दिनांक** :–...17/11/2017.../

**प्रतिलिपि** :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, शेखपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वे जिला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) का नाम, पदनाम एवं दूरभाष सं0 प्रखंड एवं अंचल मुख्यालय में प्रदर्शित करते हुए इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

**प्रतिलिपि** :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, शेखपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि** :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, शेखपुरा/अपर जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं जिला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) का नाम, पदनाम एवं दूरभाष सं0 जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने तथा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि** :– श्री निरंजन कुमार झा, उप विकास आयुक्त–सह– अपर समाहर्त्ता, शेखपुरा को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सुलभ प्रसंग हेतु विभागीय पत्र की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है।

**प्रतिलिपि** :– सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

**जिला पदाधिकारी,**
**शेखपुरा।**